

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (एफ-1142)/2018/

दिनांक :

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त,  
जोन बीकानेर।

विषय:- श्री सतीश कुमार गर्ग, लैब टेक्नीशियन के 9 वर्षीय एसीपी स्वीकृत करने  
बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1399 दिनांक 26.07.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा उक्त कर्मचारी के 9 वर्षीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्रपत्र भिजवाया है के सम्बन्ध में लेख है कि कार्मिक का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानानुसार पुनः निर्धारित चैक लिस्ट तैयार कर एसीआर प्रमाण पत्र के साथ निदेशालय को भिजवावे, ताकि उक्त कार्मिक के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।



( डॉ0बी.एल.सैनी )


संयुक्त निदेशक (प्रशासन),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (एफ-1142)/2018/477

दिनांक : 01/08/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
2. श्री सतीश कुमार गर्ग, लैब टेक्नीशियन को पालनार्थ।
3. आदेश/निजी पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (प्रशासन),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर